न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
अपील संख्या :1/2023
निर्णय दिनांक : 08.04.2024

1. श्रीमती सविता मीणा पत्नी श्री नाथू लाल मीणा, जाति मीणा, आयु करीब 47 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर 6, गंगा विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती भौरी देवी पत्नी स्व. श्री गंगाराम मीणा
2. तारा तारा पुत्र स्व. श्री गंगाराम मीनार समस्त जाति समुदाय, समस्त निवासीगण ग्राम दोतली, तहसीलाने सांगर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)

रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 556 स्वीकृत दिनांक 05.07.2014 ग्राम पंचायत दातली, तहसील, सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1033/1141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1034 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 912 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 913 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 914 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 915 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 916 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 918 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 921 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर, वाके ग्राम दाँतली, पटवार हल्का दॉतली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें तत्कालीन खातेदार बिरदा पुत्र धन्ना 1/3 हिस्सा, गंगाराम पुत्र धन्ना 1/3 हिस्सा, सोहन लाल पुत्र धन्ना 1/3 हिस्सा बरूये राजस्व रिकार्ड रहे। खातेदार गंगाराम पुत्र श्री धन्ना लाल मीणा को अपने निजी खर्चा व अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर, गंगा राम मीणा ने अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1033/1141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1034 रकबा 0.41 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर, वाके ग्राम दॉतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी में 1/3 हिस्सा में से 12/17 भाग को क्रेती श्रीमती सविता मीणा अपीलार्थीया को जरिये विक्रय पत्र [illegible] दिनांक 27.11.2012, पंजीकृत दिनांक 15. 07.2015 पुस्तक संख्या 1 [illegible] 971 के पृष्ठ संख्या 153, क्रम संख्या 201503024105[illegible] [illegible] पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3481 के पृष्ठ संख्या 230 से 239 पर, [illegible]जीयक, सांगानेर–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जयपुर के कार्यालय में चस्पा किया गया। विक्रय पत्र को निष्पादन दिनांक 27.11.2012 तथा पंजीयन दिनांक 15.07.2015 के बीच विक्रेता गंगाराम मीणा की मृत्यु हो जाने से, खातेदार द्वारा विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर, बेचे गये खसरा नंबरों का फौती का विरासत नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 को ग्राम पंचायत दॉतली, तहसील सांगानेर पंचायत समिति सांगानेर द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर, सही तथ्यों को छिपाते हुये, बेचान की गयी आराजी के तथ्यों के विपरीत खोला गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी क्रेता की ओर से अपील सेवामें निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

अपील के आधार :–

1. अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 अवैध व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर खोला गया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

2. खातेदार विक्रेता गंगाराम मीणा ने अपनी आराजी भूमि खसरा नंबर 1033/1141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1034 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से में से 12/17 भाग अपीलार्थी क्रेता के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र, विक्रय किया है तथा अपीलार्थी क्रेता ने तय शुदा विक्रय प्रतिफल जरिये चैक अदा किया है, जो विक्रेता के खाते में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी सदभावी क्रेता है जिसके पक्ष में क्रय शुदा आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकन होना कानूनी अधिकार है। इस आधार पर नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 निरस्त व अपास्त कर, अपीलार्थी के नाम क्रय शुदा आराजी का नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने आराजी क्रय करने की दिनांक 27.11.2012 को किसी न्यायालय में स्थगन नहीं रहा, लेकिन मिथ्या तथ्यों के आधार पर आपत्ति लगाते हुये, पंजीयन को डिले किया गया, उल्लेखनीय है कि खातेदार सोहन लाल के हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में एक दावा संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 321/2008 उनवानो भगवान सहाय बनाम सोहन लाल व अन्य, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जयपुर में विचाराधीन होना तथा इस प्रकरण में स्थगन होना, उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के समक्ष बताया गया। इस पर विक्रय पत्र का पंजीयन रोक दिया तथा वास्तविक तथ्यों की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उनवानी दावा दिनांक 23.05. 2011 को निर्णय व डिक्री हो चुका है। इस पर उप पंजीयक, सांगानेर (प्रथम) द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2012 को पंजीयन दिनांक 15.07.2015 को इस नोट के साथ पंजीयन किया–

"नोट– उक्त दस्तावेज में वर्णित खसरा नंबर 1033/1141 व 1034 में सोहन लाल के हिस्सेपर माननीय न्यायालय फास्ट ट्रेक का स्थगन है। विक्रेता के हिस्से पर कोई स्थगन नहीं है तथा [illegible] विक्रेता [illegible] पाबंद है। अतः राज्य हित में पंजीबद्ध किया गया।"

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.06.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2012 का पंजीयन दिनांक 15.07.2015 को हो जाने से, दिनांक 05.07.2014 को ग्राम पंचायत दॉतली द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 556 अवैध हो जाने से निरस्त [illegible] है तथा अपीलार्थी

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

के खातेदारी व साम्पतिक अधिकारों के विपरीत होने से नामान्तकरण खारिज किए जाने योग्य है। खातेदार विक्रेता गंगाराम मीणा के वारिसान श्रीमती भौरी देवी तथा सीताराम मीणा को आराजी के बेचान की जानकारी रही है। सीताराम मीणा विक्रय पत्र में स्वयं बतौर गवाह है तथा बेचान के तथ्य को छिपाते हुये, पंचायत से मिलीभगत कर, वास्तविक तथ्यों के विपरीत नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 स्वीकृत कराया है जो अपास्तनीय है। विक्रेता गंगाराम मीणा के वारिसान को अपीलार्थी के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इसके संबंध में न्यायालय में विक्रय पत्र को चेलेन्ज करने की मियाद 03 वर्ष है। विक्रय पत्र करीब 10 वर्ष पूर्व का है। विक्रय पत्र को किसी न्यायालय में चेलेंज नहीं किया है। अतः विक्रय पत्र वैध दस्तावेज है। इस विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने हेतु नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलार्थी क्रेता ने विक्रय पत्र का पंजीयन होने के बाद श्रीमान तहसीलदार, सांगानेर, जयपुर के समक्ष दिनांक 27.07. 2015 को अपीलार्थी क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रकरण संख्या 13/15, श्रीमती सविता बनाम भौरी देवी व अन्य में कार्यवाही की गयी, जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय ने दिनांक 24.06. 2016 को उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया, जिसकी अपीलार्थी को जानकारी नहीं रही। अपीलार्थी को जानकारी होने पर तहसीलदार महोदय के समक्ष पुनः आवेदन पेश किया, जिसपर सुनवाई करते हुये दिनांक 29.11.2022 को खारिजी का आदेश पारित करते हुये, निर्देशित किया कि नामान्तकरण संख्या 556 दिनाक 05.07.2014 को निरस्त कराके आओ, उसके पश्चात नामान्तकरण खोला जा सकेगा। चूँकि अपीलार्थी एक घरेलू महिला है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में समुचित जानकारी के अभाव में जो समय गुजरा उसे क्षम्य किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अलग से पेश है।

अतः अपील अपीलाट प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 556, दिनांक 05.07.2014, ग्राम पंचायत दातली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को निरस्त फरमाते हुये अपीलांट क्रेता के पक्ष में, निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 27.11. 2012 पंजीकृत दिनांक 15.07.2015 की पालना में आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1033/1141 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1034 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर, वाके ग्राम दॉतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में 1/3 हिस्सा में से 12/17 भाग सम्पूर्ण का नामान्तकरण खोलने का आदेश फरमाने की कृपा करें। अन्य अनुतोष जो प्रकरण में उचित समझे, दिलाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उप पंजीयक ... जयपुर ...

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट्स की तलबी/सम्मन नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने हेतु आदेश दिये गये। पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी ने दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत की प्रति पेश की, दैनिक समाचार पत्र का अवलोकन किया गया। बावजूद दैनिक समाचार पत्र तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलार्थी सुनी गई।

बहस वकील अपीलांट व पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपने पाया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 ग्राम पंचायत दॉतनी तहसील सांगानेर के विरूद पेश की गई है। नामान्तकरण संख्या 556 विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2012 के बाद खोला गया है। विक्रय पत्र करीब 11 वर्ष पूर्व का है विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चेलेंज नहीं किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतःअपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अपील विरूद नामान्तकरण संख्या 556 स्वीकृत दिनांक 05.07.2014 ग्राम पंचायत दॉतली, तहसील सांगानेर स्वीकार की जाती है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो एवं विक्रेता का हिस्सा प्रभावित ना हो तो विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2012 के आधार पर अपीलांट का नामान्तकरण दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सुनिता [?] बनाम गोरी [?]

मुकदमा संख्या / वर्ष 01/2023 : 2023/109 / 20

क्रम०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/3/2024	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी उप० वकील अपीलार्थी की दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत की प्रति पेश की दैनिक समाचार पत्र का अवलोकन किया गया बावजूद दैनिक समाचार पत्र तामील उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते आदेश कार्यवाही दिनांक 8/5/2024 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	
	8/5/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित बहस अपील सुनी गई अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	16/5/24	पत्रावली प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश होकर [illegible] प्रा०पत्र पर प्रार्थी को [illegible] पेश प्रार्थना पत्र स्वी[illegible] 01/2023 के रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 का नाम [illegible] पुत्र स्व. श्री गंगाराम मीणा, समस्त जाति मीणा निवासी [illegible] ग्राम दौलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के स्थान पर सीताराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम मीणा समस्त जाति मीणा	

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय

सविता बनाम मोती लाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 01/2023 : 2023/09/20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि[illegible]
		समस्त निवासी ग्राम [illegible], तहसील सांगानेर जिला जयपुर [illegible] जाने के आदेश [illegible] जाते हैं उक्त आदेश [illegible] दिनांक 8/5/2024 कायम रहेगा उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:23:47 IST
Reason: SelfAttested